



**हिलव्यू समाचार**  
मीडिया दृष्टिकोण

साप्ताहिक समाचार पत्र

website: www.hsnews.in  
जयपुर, मंगलवार, 07 मार्च 2023

होली व भाईदूज की हार्दिक शुभकामनाएं

**गोपालपुरा बायपास के स्पेशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट व अवैध निर्माणों पर लग चुकी है गत माह जनहित याचिका। इसके बावजूद वहाँ आवासीय भूखंडों पर लगातार हो रहे हैं व्यवसायिक अवैध निर्माण?**

शालिनी श्रीवास्तव जयपुर (हिलव्यू समाचार)। राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए और नगर निगम को पाबंद किया है कि- 'जेडीए और नगर निगम आवासीय इलाकों में व्यवसायिक गतिविधियाँ चिन्हित कर रोकने की कार्यवाही करें।' सीजे फंकज मित्तल व जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश दीपक कुमार शर्मा व अन्य की पीआईएल यानि जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए गत माह दिया लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश व फैसले तो अब मम्मी के रोटी के कोर जैसे हो गए हैं कि जिससे बच्चों की तरह जेडीए और नगर निगम हमेशा भागते रहते हैं या नजरबंद करते रहते हैं। कोई खोफ नहीं रह गया है आज न्यायपालिका के आदेशों और दिए गए फैसलों का, नगर निगम व जेडीए में।

मनोराम जी की कोटी सहित 143 अवैध भवनों को ध्वस्त करने का आदेश हो या सुप्रीम कोर्ट के सार्वजनिक पाकों के संरक्षण व अवैध निर्माणों को रोकने व ध्वस्त करने के मामले हों। जयपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम सरकार की शैय पर सर्वेसर्वा हो गए हैं। आवासीय भूखंडों व कॉलोनियों

● कुछ दिन पूर्व जेडीए के गोपाल नगर-ए, जोन-5, भूखंड संख्या-7, त्रिवेणी नगर पुलिया के पास आवासीय भूखंड पर व्यवसायिक, ज़ीरो सेटबैक अवैध निर्माण की स्थिति।



**पहले...**

● कुछ दिन बाद इसी जेडीए के गोपाल नगर-ए, जोन-5, भूखंड संख्या-7, त्रिवेणी नगर पुलिया के पास आवासीय भूखंड पर व्यवसायिक, ज़ीरो सेटबैक अवैध निर्माण की स्थिति।



**अब...**

# राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश की उड़ा रहे धज्जियाँ जयपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम जयपुर!

**आखिर किसकी शैय पर हो रहा राजधानी में अवैध निर्माणों व अतिक्रमणों का गुंडाराज?**

## शासन-प्रशासन की भूमिका पर भ्रष्टाचार व मिलीभगत को लेकर लगातार उठ रही उंगलियाँ!

राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए और नगर निगम को पाबंद किया है कि- 'जेडीए और नगर निगम आवासीय इलाकों में व्यवसायिक गतिविधियाँ चिन्हित कर रोकने की कार्यवाही करें।' सीजे फंकज मित्तल व जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश दीपक कुमार शर्मा व अन्य की पीआईएल यानि जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए गत माह दिया लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश व फैसले तो अब मम्मी के रोटी के कोर जैसे हो गए हैं कि जिससे बच्चों की तरह जेडीए और नगर निगम हमेशा भागते रहते हैं या नजरबंद करते रहते हैं। कोई खोफ नहीं रह गया है आज न्यायपालिका के आदेशों और दिए गए फैसलों का, नगर निगम व जेडीए में।

मनोराम जी की कोटी सहित 143 अवैध भवनों को ध्वस्त करने का आदेश हो या सुप्रीम कोर्ट के सार्वजनिक पाकों के संरक्षण व अवैध निर्माणों को रोकने व ध्वस्त करने के मामले हों। जयपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम सरकार की शैय पर सर्वेसर्वा हो गए हैं। आवासीय भूखंडों व कॉलोनियों



## हाइकोर्ट के आदेशों पर जमती धूल अवैध निर्माणों की

इसी तरह एक मामला है जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन-5 का जिसमें भूखंड संख्या-7, गोपाल नगर-ए त्रिवेणी नगर पुलिया के पास का उल्लंघन करते हुए आवासीय भूखंड पर व्यवसायिक निर्माण तेजी से हो रहा है। जबकि गत माह गोपालपुरा बायपास के स्पेशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में व्यवसायिक पट्टा वितरण पर पीआईएल लग चुकी है फिर यहाँ आवासीय भूखंड पर अवैध निर्माण करने वाले किस आशा से यह अवैध निर्माण कर रहे हैं। स्पेशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पीआईएल के निस्तारण से यदि रोक लग गयी तो ये सारे अवैध निर्माण अवैध निर्माणों को ध्वस्त होने की स्थिति में लाकर बंद कर देंगे। साथ ही पुनः स्मरण हो कि हाईकोर्ट ने कुछ दिवस पूर्व जयपुर विकास प्राधिकरण व नगर निगम क्षेत्र में हो रहे आवासीय भूखंडों पर व्यवसायिक निर्माणों को चिन्हित कर कार्यवाही करने के आदेश भी दिये हैं। इस पर भी पुनः एक बार हाईकोर्ट के संज्ञान पर उनके फैसलों पर हो रही लापरवाही को लाया जाएगा ताकि हाईकोर्ट के अस्तित्व पर कोई सवाल न खड़े हों सके और जनता का न्यायपालिका पर विश्वास बना रहे।

# जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यशैली निरन्तर संदिग्ध!

**आम आदमी को गालियाँ और अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों के लिए गलियाँ निकालना जेडीए और नगर निगम की पहचान बन गया है**

हाइकोर्ट के आदेशों पर जमती धूल अवैध निर्माणों की

इसी तरह एक मामला है जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन-5 का जिसमें भूखंड संख्या-7, गोपाल नगर-ए त्रिवेणी नगर पुलिया के पास का उल्लंघन करते हुए आवासीय भूखंड पर व्यवसायिक निर्माण तेजी से हो रहा है। जबकि गत माह गोपालपुरा बायपास के स्पेशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में व्यवसायिक पट्टा वितरण पर पीआईएल लग चुकी है फिर यहाँ आवासीय भूखंड पर अवैध निर्माण करने वाले किस आशा से यह अवैध निर्माण कर रहे हैं। स्पेशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पीआईएल के निस्तारण से यदि रोक लग गयी तो ये सारे अवैध निर्माण अवैध निर्माणों को ध्वस्त होने की स्थिति में लाकर बंद कर देंगे। साथ ही पुनः स्मरण हो कि हाईकोर्ट ने कुछ दिवस पूर्व जयपुर विकास प्राधिकरण व नगर निगम क्षेत्र में हो रहे आवासीय भूखंडों पर व्यवसायिक निर्माणों को चिन्हित कर कार्यवाही करने के आदेश भी दिये हैं। इस पर भी पुनः एक बार हाईकोर्ट के संज्ञान पर उनके फैसलों पर हो रही लापरवाही को लाया जाएगा ताकि हाईकोर्ट के अस्तित्व पर कोई सवाल न खड़े हों सके और जनता का न्यायपालिका पर विश्वास बना रहे।

**खबर-बेखबर**



**उपायुक्त महेश मान को किस बात का है अभिमान**

मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर में उपायुक्त महेश मान की देखरेख में बढ़ रहे अवैध निर्माण



**उपायुक्त महेश मान जवाब दें-**

प्लॉट नंबर 3 व 4 मूर्तिकला कॉलोनी, गोपालपुरा बायपास पर ललिताला पेलिस का यह बहुमंजिला अवैध निर्माण, बिल्डिंग बायलॉज को परे रखकर कैसे पूरा हो गया?

**मिलीभगत का एक ही सिद्धांत**

- माँग पूरी न हो तो सील की कार्यवाही
- पूरी हो जाये तो सील खोलने का काम तेज़ी से
- और मिलीभगत हो तो सील करने का काम कभी नहीं?

**आखिर क्यों अवैध निर्माणों पर सख्त कार्यवाही नहीं होती?**

आज के डिजिटल दौर में जनता सब जानती बुझती समझती है। वस अब उसे एक अवसर की देर है कि तख्तापलट करने में देर नहीं करेगी। इधर मालवीय नगर जोन उपायुक्त महेश मान के बिल्डर्स व व्यापारियों से बहुत अच्छे संबंध बन गए हैं 34 सालों से एक ही शहर जयपुर में पोस्टिंग रहने से तो वे हर तरह से रिश्ते निभा रहे हैं। राजधानी जयपुर में जमे महेश मान एंड्री चोटो का जोर लगाकर अपना भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। मिलीभगत करके अवैध निर्माणों से आँखें मूंदकर वो रमता जागी बन गए हैं। उन्हें मान-सम्मान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अभिमान उनके सर चढ़कर बोल रहा है। बाकी बाजार में उनकी क्या इमेज खड़ी हो रही है उन्हें सब अंदज़ा है लेकिन भ्रष्टाचार ने निर्लेजता को पूरी तरह ओढ़ लिया है।

कहीं बिल्डरों और व्यापारियों से शासन और प्रशासन को आर्थिक स्थिति को तो मजबूती मिलती है इसलिए तो कार्यवाहियाँ निष्क्रिय तो नहीं हो जाती?

क्यों अवैध निर्माण करने वाले बिल्डर और व्यापारी यह कहते नजर आते हैं कि सरकार और प्रशासन को हम जेब में रखते हैं?

**मालवीय नगर व आदर्श नगर के अवैध निर्माण के लिए उपायुक्तों व शासन-प्रशासन को लिखे पत्र पेज नं. 4 व 5 पर**



**संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी में धोखाधड़ी का मामला**

# सीएम गहलोत से मिले पीड़ित आपबीती बताते हुए रोने लगे

कार्यालय संवाददाता जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुख्यमंत्री निवास पर रविवार को संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी द्वारा उगी के शिकार पीड़ितों ने मुलाकात की। राज्य के विभिन्न जिलों से आए पीड़ितों ने अपने करोड़ों रुपए निवेश की उगी, बिगड़ते पारिवारिक और सामाजिक हलाकों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। पीड़ितों ने अपनी मार्मिक आपबीती बताते हुए कहा कि वर्षों की कड़ी मेहनत से एक-एक रुपया जोड़कर राशि जमा की थी। सोसायटी संचालकों ने बड़े लाभ दिलाने के भरोसे में लेकर निवेश कराया। अब पासबुकें खाली पड़ी है और सोसायटी द्वारा दिए बैंड धूल खा रहे हैं। अपनी आपबीती बताते हुए कई पीड़ित भावुक हुए तो कई रोने लगे। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने सोसायटी के मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रम सिंह के साथ उन्हें निवेश करने के लिए भरोसे में लिया था। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों की बात सुनकर न्यायोचित कार्रवाई का भरोसा दिया।

**विक्रम सिंह के साथ निवेश करने के लिए शेखावत ने लिया भरोसे में**

**मामले में आज दर्ज होंगे गवाहों के बयान**

इधर केन्द्रीय मंत्री शेखावत ने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत में एक आपराधिक शिकायत दायर करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत पर संजीवनी घोटाले पर टिप्पणी करके उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरीश्वर सिंह ने मामले में संज्ञान लिया और शेखावत की शिकायत के समर्थन में गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए इसे सोमवार के लिए सूचीबद्ध किया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गहलोत ने संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी घोटाले में भाजपा नेता की भूमिका होने का आरोप लगाकर उन्हें बदनाम किया। शिकायत में दावा किया गया है कि उनकी (शेखावत) प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति हुई है।

**मंत्री के हाथ में पैसा**

पीड़ित शकुंतला शर्मा ने बताया कि एजेंटों और मंत्री के मिलने वालों ने हमें कहा था कि सोसायटी मंत्री जी के हाथ में है। आपकी राशि सुरक्षित है। मेरे 25 लाख रुपए निवेश है। पीड़ित उन्होंने बताया कि स्वयं के साथ घरों में काम करने वाली महिलाओं के लगभग 20 लाख रुपए जमा कराए थे। अब वे महिलाएं रोजाना पैसे वापस दिलाने के लिए कहती हैं। ऐसे में मेरा बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है।

**पेंशन से चुका रहा हूँ निवेशकों की राशि**

चौधू निवासी सतीश कुमार ने कहा कि मेरे 10 लाख, पत्नी के 15 और मां के नाम से 6 लाख रुपए जमा कराए थे। मैं एजेंट भी रहा। ऐसे में लोग मुझसे राशि मांगते हैं। अब पेंशन राशि से उन्हें थोड़ा-थोड़ा चुका रहा हूँ। एक अन्य पीड़ित ने भी पेंशन से निवेशकों को पैसा देने की बात कही। कोटा से आए प्रेमप्रकाश ने कहा कि मैं एजेंट भी रहा। मेरे पास जो जमा पूंजी थी, वो निवेशकों को दे चुका हूँ।

## डीजीपी उमेश मिश्रा ने दी होली की शुभकामनाएं

### होली-धुलंडी पर हुड़दंग करने वालों से सख्ती से निपटेगी पुलिस

कार्यालय संवाददाता जयपुर। होली-धुलंडी पर हुड़दंग करने वालों से निपटने को पुलिस तैयार रहेगी। पुलिस ने कहा कि त्योहार पर शराब पीकर हुड़दंग मचाकर महिला बिगाड़ने वाले असमाजिक तत्वों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। जयपुर पुलिस ने इसको लेकर एक्शन प्लान तैयार किया है। जहां-जहां होलिका दहन होगा, वहां पर पुलिस के जवान मौजूद रहेंगे। वहीं सभी थाना इलाकों में पाईंट बनाकर भी शामिल हैं। वहीं कमिश्नर के अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी कैमरे से भी लोगों पर नजर रखी जाएगी। महानिदेशक पुलिस उमेश मिश्रा ने होली के अवसर पर राजस्थान पुलिस के जवानों व अधिकारियों और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने इस अवसर पर पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष गंभीरता बरतने के निर्देश दिए। वहीं होली-धुलंडी में झूठी देने के बाद पुलिस भी अगले दिन होली खेलेगी।



पुलिस कर्मी तेनात किए जाएंगे जो हुड़दंगियों से निपटेंगे। इसके साथ ही सिग्मा, चेतक अलर्ट रहकर सभी इलाकों में गश्त करेगी। इसके साथ ही कई स्थानों पर बैरिकेडिंग की जाएगी। इसमें शहर के प्रमुख चौराहे और हाइवे और एक्सप्रेस से जुड़ने वाली सड़कें

भी शामिल हैं। वहीं कमिश्नर के अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी कैमरे से भी लोगों पर नजर रखी जाएगी। महानिदेशक पुलिस उमेश मिश्रा ने होली के अवसर पर राजस्थान पुलिस के जवानों व अधिकारियों और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने इस अवसर पर पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष गंभीरता बरतने के निर्देश दिए। वहीं होली-धुलंडी में झूठी देने के बाद पुलिस भी अगले दिन होली खेलेगी।

### वधु चाहिए

**26 वर्ष, बीए एलएलबी, एलएलएम अध्ययनरत न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे इकलौते पुत्र हेतु स्वजातीय (खटीक), सुशील, संस्कारी, सुयोग्य, समकक्ष, लॉ ग्रेजुएट वधु चाहिए। वर की पूर्व में कोई सगाई या शादी नहीं। मांगलिक दोष नहीं। पिता सरकारी सेवा में कार्यरत। माता गृहणी, गौत्र-पिता बुटोलिया, माता सोलंकी, दादी चावला, नानी चंदेला।**

**शीघ्र विवाह हेतु सम्पर्क करें- Mob. 9414054148**



**जयपुर में पहली बार**  
स्वतंत्र विला एवं 4BHK लक्जरी फ्लैट्स  
(गेटेड स्क्रीम, लैंडस्केपिंग, पर्याप्त सुरक्षा,  
24 घंटे बिजली-पानी, क्लब हाउस, स्पोर्ट्स  
फैसिलिटी, 200Ft. राणा सांगा मार्ग पर)

## राजस्थान आवासन मण्डल

हमारा प्रयास, सबको आवास

**27** योजनाएं

**4569** आवास

**90%** तक बैंक लोन सुविधा उपलब्ध

आवेदन 01 मार्च, 2023 से 31 मार्च, 2023 तक

शहर एवं जिला का नाम	योजना का नाम	आवासों की श्रेणी	आवासों की संख्या	शहर एवं जिला का नाम	योजना का नाम	आवासों की श्रेणी	आवासों की संख्या
प्रताप नगर, जयपुर	ग्रीनवुड मेन्शन (स्वतंत्र विला), सेक्टर-28, प्रताप नगर, (रेरा नं. RAJ/P/2023/2411)	उच्च आय वर्ग	164	हनुमानगढ़	आवासीय योजना, हनुमानगढ़, डी.टी.ओ. ऑफिस के पास (रेरा नं. RAJ/P/2023/2353)	मध्यम आय वर्ग-ब (B+S+9)	108
	ग्रीनवुड आर्इकोनिक, सेक्टर-28, प्रताप नगर, (रेरा नं. RAJ/P/2023/2403)	उच्च आय वर्ग (B+S+14)	56		मध्यम आय वर्ग (G+2)	96	
	ग्रीनवुड होराइजन, सेक्टर-28, प्रताप नगर, (रेरा नं. RAJ/P/2023/2410)	उच्च आय वर्ग (B+S+14)	504		अल्प आय वर्ग (G+2)	180	
	सलुब्द अपार्टमेंट-प्रथम, सेक्टर-22, प्रताप नगर, (रेरा नं. RAJ/P/2023/2398)	मध्यम आय वर्ग-अ (S+6)	120		आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (G+2)	228	
	सलुब्द अपार्टमेंट-द्वितीय, सेक्टर-22, प्रताप नगर, (रेरा नं. RAJ/P/2023/2399)	मध्यम आय वर्ग-अ (G+2)	39		मध्यम आय वर्ग-ब	25	
	माही अपार्टमेंट, सेक्टर-23, प्रताप नगर, (रेरा नं. RAJ/P/2023/2390)	मध्यम आय वर्ग-ब (2B+S+13)	325		मध्यम आय वर्ग-अ	25	
चूरू	एन.एन.आई.टी. फैकल्टी योजना, से. -26, प्रताप नगर, (रेरा नं. RAJ/P/2023/2412)	उच्च आय वर्ग (B+G+12)	124	आवासीय योजना, मानपुर (रेरा नं. RAJ/P/2023/2416)	अल्प आय वर्ग	35	
	आवासीय योजना, चूरू	उच्च आय वर्ग	09	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	65		
		मध्यम आय वर्ग-ब	01	घरोन्दा	39		
किशनगढ़ (अजमेर)	खोडा गणेश फेज-चतुर्थ, किशनगढ़ (रेरा नं. RAJ/P/2023/2405)	उच्च आय वर्ग	40	भिण्डर (उदयपुर)	आवासीय योजना, अटल नगर	मध्यम आय वर्ग-ब	22
		मध्यम आय वर्ग-ब	75	उच्च आय वर्ग	04		
		मध्यम आय वर्ग-अ	60	सलुब्दर (उदयपुर)	आवासीय योजना, सलुब्दर	मध्यम आय वर्ग-ब	02
ब्यावर (अजमेर)	आवासीय योजना, गढ़ी धोरियान	उच्च आय वर्ग	20	उदयपुर	प्रताप अपार्टमेंट, हिरण मगरी, (रेरा नं. RAJ/P/2023/2389)	मध्यम आय वर्ग-अ	05
		मध्यम आय वर्ग-अ	08	अल्प आय वर्ग	16		
		मध्यम आय वर्ग-ब	29	भीलवाड़ा	आवासीय योजना, पटेल नगर विस्तार	मध्यम आय वर्ग-ब (S+6)	24
धौलपुर	आवासीय योजना सेक्टर-05, बाड़ी रोड (रेरा नं. RAJ/P/2023/2362 and RAJ/P/2023/2354)	उच्च आय वर्ग	09	श्रीलवाड़ा	आवासीय योजना, पटेल नगर विस्तार	मध्यम आय वर्ग-ब	16
		मध्यम आय वर्ग-ब	10	आवासीय योजना, पटेल नगर विस्तार	मध्यम आय वर्ग-अ	25	
		मध्यम आय वर्ग-अ	10	मध्यम आय वर्ग-ब	07		
	आवासीय योजना, सेक्टर-04, बाड़ी रोड	उच्च आय वर्ग	06	मध्यम आय वर्ग-अ	09		
लाखेरी (बूंदी)		मध्यम आय वर्ग-ब	10	शाहपुरा (भीलवाड़ा)	आवासीय योजना, शाहपुरा (रेरा नं. RAJ/P/2023/2413)	अल्प आय वर्ग	18
	आवासीय योजना, लाखेरी (रेरा नं. RAJ/P/2023/2406)	उच्च आय वर्ग	61	आवासीय योजना, शाहपुरा (रेरा नं. RAJ/P/2023/2413)	मध्यम आय वर्ग-अ	09	
		मध्यम आय वर्ग-ब	29	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	49		
		मध्यम आय वर्ग-अ	145	उच्च आय वर्ग	14		
		अल्प आय वर्ग	04	मध्यम आय वर्ग-ब	33		
निवाई (टोंक)	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	02		मध्यम आय वर्ग-अ (प्रथम)	12		
	घरोन्दा	76	बड़ी सादड़ी (चित्तौड़गढ़)	मध्यम आय वर्ग-अ (द्वितीय)	12		
	उच्च आय वर्ग	23	आवासीय योजना, अटल नगर	मध्यम आय वर्ग-ब	10		
	मध्यम आय वर्ग-ब	24	उच्च आय वर्ग	07			
जोधपुर	मध्यम आय वर्ग-अ	26	आवासीय योजना, बड़ी सादड़ी	मध्यम आय वर्ग-अ	06		
	अल्प आय वर्ग	04	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	23			
	उच्च आय वर्ग	63	घरोन्दा	28			
	मध्यम आय वर्ग-ब	105	उच्च आय वर्ग	34			
	मध्यम आय वर्ग-अ	125	मध्यम आय वर्ग-ब	25			
जोधपुर	अल्प आय वर्ग (प्रथम)	185	मध्यम आय वर्ग-अ	17			
	अल्प आय वर्ग (द्वितीय)	205	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	04			
	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	407	मध्यम आय वर्ग-अ	16			
	उच्च आय वर्ग (B+S+9)	180	अल्प आय वर्ग	33			
				आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	14		

नोट: जयपुर, चूरू, किशनगढ़, ब्यावर, धौलपुर, निवाई, चौपासनी और उदयपुर की योजनाएं स्वयंसेवक (SFS) आवासीय योजनाओं के अंतर्गत तथा लाखेरी, बड़ली, हनुमानगढ़, मानपुर, सलुब्दर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर की योजनाएं विशिष्ट पंजीकरण (SRS) श्रेणी में हैं।

**हेल्पलाइन नं. कार्यालय समय में: 0141-2744688, 2740009 कार्यालय समय उपरान्त: 9461054291/92/319 एवं 9460254319, शान्तनु वार्डन (9983131666), पवन सोनी (8852000770) या समन्वयक अधिकारी श्री भारत भूषण जैन (9828363615) से सम्पर्क करें**

**अधिक जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन के लिए RHB की वेबसाइट देखें**

**www.urban.rajasthan.gov.in/RHB**

मौके पर हेल्प डेस्क/ बैंक काउंटर उपलब्ध

RHB वेबसाइट के लिए Scan करें

प्रताप नगर में हेल्प डेस्क की लोकेशन के लिए Scan करें

ग्रीनवुड मेन्शन

ग्रीनवुड आर्इकोनिक

ग्रीनवुड होराइजन

## शासन-प्रशासन को पत्र

RAJHIN2014/56746

मीडिया दृष्टिकोण

### हिलव्यू समाचार

C-2 अशिया रेजिडेंसी, फ्लैट न.201, आदर्शनगर, न्यू राजापार्क जयपुर-302004 (राज.)  
क्रमांक HV/2022-23/ 936 दिनांक : 04 मार्च 2023

श्रीमान उपायुक्त महोदय,  
मालवीयनगर जोन

नगरनिगम ग्रेटर, जयपुर (राज.)

विषय: आपके जोन क्षेत्र में चल रहे अवैध निर्माणों व अतिक्रमणों के बारे में सूचनार्थ।

संदर्भ: अवैध निर्माणों से सम्बंधित शिकायत करने व सूचनाएँ देने के तत्पश्चात व हिलव्यू समाचार पत्र खबरे प्रकाशित करने पर भी आपकी तरफ से कोई कार्यवाही नहीं होने के क्रम में।

श्रीमान,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भानुसार आपसे निवेदन है कि आपके मालवीय नगर क्षेत्र में हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए लगातार आवासीय कॉलोनियों, आवासीय भूखण्डों पर व्यवसायिक निर्माण हो रहे हैं जो कि अवैध निर्माण की श्रेणी में आते हैं इसके अतिरिक्त आवासीय भूखण्डों व आवासीय मकानों में बहुमंजिला बिल्डिंग बन रही हैं, परिवार के विस्तार का झूठा शपथ पत्र देकर जबकि इन आवासीय भूखण्डों/मकानों को पीजी/हॉस्टल/होटल/गोस्ट हाउस में व्यवसायीकरण कर अवैध परिवर्तन किया जा रहा है अवैध निर्माण करके।

(03)

3. रहवासियों के बढ़ते दबाव से यातायात बाधित हो गया है जिसके कारण घण्टों जाम रहता है। सड़कें पार्किंग से घिर गई हैं जो आम रहवासियों के लिए सिरदर्द बन गई हैं उन्हें अपने घर में जाने के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ता है।

4. इन क्षेत्रों में आम रहवासियों के घर के बाहर अनजान वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है जिससे घर में आना-जाना दूभर हो जाता है। घंटों अज़नबी गाड़ियाँ घरों के बाहर खड़ी रहती हैं।

5. फूड स्टॉल, दुकान, चाय के ढाबों पर देर रात तक अज़नबी लोगों के आवागमन, गतिविधियाँ बनी रहती हैं जिससे इस क्षेत्र के आम रहवासियों को परेशानियों व दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है।

6. रहवासियों के बढ़ते घनत्व के कारण लोगों की भीड़ बढ़ गयी है जो कि अनजान व अज़नबी ज़्यादा है ऐसे में लड़ाई झगड़े भी बढ़ गए हैं जो कि सामाजिक शांति व सुरक्षा को भंग कर रहे हैं।

7. इस क्षेत्र में अवैध बनी बहुमंजिला बिल्डिंग मुख्य मार्गों को बाधित कर रही हैं जिससे आम रहवासियों को काफी दिक्कत हो रही हैं।

8. बढ़ते रहवासियों के कारण बिना फूड लाइसेंस के स्ट्रीट फूड/ढाबे/होटल शुरू हो गए हैं। चाय के ढाबों पर नशा परोसा जा रहा है जिसकी वजह से घण्टों वहाँ भीड़ बनी रहती है और झगड़े होते रहते हैं।

(02)

बिना भू रूपांतरण, बिना स्वीकृति, ज़ीरो सेटबैक पर, बिना फायर एनओसी के ये अवैध निर्माण बनते व बढ़ते जा रहे हैं। बिना स्वीकृति, बिना भू-रूपांतरण, बिना फ़ायर एनओसी, बिना आरएमए लाइसेंस के होने वाले इन अवैध निर्माणों, अवैध गतिविधियों से सरकार को रेवेन्यू का नुकसान तो ही रहा है साथ सरकार की छवि लगातार आम जनता में धूमिल होती जा रही है यह सारे भ्रष्टाचार, अतिक्रमण, अवैध निर्माण देखकर। आपके जोन द्वारा कुछेक अवैध निर्माण 180 दिन के लिए सील किये गए किंतु 90 दिन में ही वो सील अवैध निर्माणकर्ता द्वारा झूठा शपथ पत्र देकर खुलवा ली गयी और पुनः अवैध निर्माण शुरू हो गए। शपथपत्र अनुसार न ही अवैध निर्माणकर्ताओं ने अवैध निर्माण हटाया न ही अवैध निर्माण को रोका बल्कि सील खुल जाने के बाद अवैध निर्माण करने वाले और दबंग और दुस्साहसी बन गए और धड़ल्ले से अवैध निर्माण करने में लगे है। इन अवैध निर्माणों से आवासीय क्षेत्रों में लगातार निम्न अव्यवस्थाएं बढ़ रही हैं-

1. आवासीय में व्यवसायीकरण के कारण उनमें चलने वाले ढाबों, होटलों व कैफ़े से आगजनी जैसी आकस्मिक दुर्घटनाओं का अंदेशा बढ़ गया है।

2. बिना फ़ायर एनओसी, आरएमए लाइसेंस के अवैध बहुमंजिला बिल्डिंग्स में अवैध कैफ़े, ढाबे व अवैध होटल/हॉस्टल/कैफ़ेटेरिया चल रहे हैं जो कि आसपास रह रही आम जनता के जीवन खिलवाड़ है।

(04)

9. सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर सार्वजनिक पार्कों में अवैध निर्माण कर राजनैतिक पार्टी कार्यालय चल रहे हैं, बैठकें हो रही हैं जबकि सार्वजनिक पार्क/उद्यान/बगीचे में किसी भी तरह का निर्माण स्वीकृत नहीं है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि स्वयं के स्तर पर अपने जोन क्षेत्र का अवलोकन कर, जाँच कर इन अवैध निर्माणों व फूड की अवैध गतिविधियों पर उचित व सख्त कार्यवाही कर अपनी भूमिका को प्रदर्शित करें।

चिन्म निवेदन है कि आपके जोन से उचित व सख्त कार्यवाही न होने पर लोकायुक्त में यह शिकायत दर्ज करना मेरा अगला क्रम होगा। आशा है आप स्वयं ही उचित कार्यवाही कर अपनी प्रशासनिक सेवा सक्रियता का परिचय देंगे। एक लोकसेवक होने के नाते आप इस पर मुख्य रूप से कार्यवाही करेंगे इसी उम्मीद के साथ

धन्यवाद!

संलग्न पुनः सूचनार्थ

हिलव्यू समाचार अखबार की 08 प्रति तारिख सहित जिसमें लगातार मालवीय नगर जोन के अवैध निर्माणों की खबरे प्रकाशित की गई हैं।

(5)

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-  
मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार  
यूडीएच मंत्री राजस्थान सरकार  
मुख्य सचिव राजस्थान सरकार  
महापौर नगर निगम ग्रेटर जयपुर  
आयुक्त नगर निगम ग्रेटर जयपुर  
उपायुक्त, मालवीय नगर जोन, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर  
रक्षित पत्रावली

प्रार्थी

शालिनी श्रीवास्तव  
संपादक एवं स्वामी हिलव्यू समाचार  
प्लॉट नंबर C-2 अशिया रेजिडेंसी  
फ्लैट नंबर 201, आदर्शनगर  
राजापार्क जयपुर राजस्थान  
संपर्क : 7976561127, 9460079061  
मेल आईडी: hillviewsamachar@gmail.com  
वेबसाइट: www.hsnews.in

## शासन-प्रशासन को पत्र

RAJHIN2014/56746

मीडिया दृष्टिकोण

### हिलव्यू समाचार

C-2 अशिया रेजीडेंसी, प्लॉट न.201, आदर्शनगर, न्यू राजापार्क जयपुर-302004 (राज.)  
क्रमांक HV/2022-23/ 937 दिनांक : 04 मार्च 2023

श्रीमान उपायुक्त महोदय,  
आदर्शनगर जोन,  
नगरनिगम हैरीटेज, जयपुर (राज.)  
विषय: आपके जोन क्षेत्र में चल रहे अवैध निर्माणों व अतिक्रमणों के बारे में सूचनार्थ।

संदर्भ: अवैध निर्माणों से सम्बंधित शिकायत करने व सूचनाएँ देने के तत्पश्चात व हिलव्यू समाचार पत्र खबरे प्रकाशित करने पर भी आपकी तरफ से कोई कार्यवाही नहीं होने के क्रम में।

श्रीमान,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भानुसार आपसे निवेदन है कि आपके आदर्शनगर जोन क्षेत्र में हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए लगातार आवासीय कॉलोनियों, आवासीय भूखण्डों पर व्यवसायिक निर्माण हो रहे हैं जो कि अवैध निर्माण की श्रेणी में आते हैं इसके अतिरिक्त आवासीय भूखण्डों व आवासीय मकानों में बहुमंजिला बिल्डिंग बन रही हैं, परिवार के विस्तार का झूठा शपथ पत्र देकर जबकि इन आवासीय भूखण्डों/मकानों को पीजी/हॉस्टल/होटल/गेस्ट हाउस में व्यवसायीकरण कर अवैध परिवर्तन किया जा रहा है अवैध निर्माण करके।

(03)

3. रहवासियों के बढ़ते दबाव से यातायात बाधित हो गया है जिसके कारण घण्टों जाम रहता है। सड़कें पार्किंग से घिर गई हैं जो आम रहवासियों के लिए सिरदर्द बन गई हैं उन्हें अपने घर में जाने के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ता है।

4. इन क्षेत्रों में आम रहवासियों के घर के बाहर अनजान वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है जिससे घर में आना-जाना दूभर हो जाता है। घंटों अज़नबी गाड़ियाँ घरों के बाहर खड़ी रहती हैं।

5. फूड स्टॉल, दुकान, चाय के ढाबों पर देर रात तक अज़नबी लोगों के आवागमन, गतिविधियाँ बनी रहती हैं जिससे इस क्षेत्र के आम रहवासियों को परेशानियों व दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है।

6. रहवासियों के बढ़ते घनत्व के कारण लोगों की भीड़ बढ़ गयी है जो कि अनजान व अज़नबी ज़्यादा है ऐसे में लड़ाई झगड़े भी बढ़ गए हैं जो कि सामाजिक शांति व सुरक्षा को भंग कर रहे हैं।

7. इस क्षेत्र में अवैध बनी बहुमंजिला बिल्डिंग मुख्य मार्गों को बाधित कर रही हैं जिससे आम रहवासियों को काफ़ी दिक्कत हो रही हैं।

8. बढ़ते रहवासियों के कारण बिना फूड लाइसेंस के स्ट्रीट फूड/ढाबे/होटल शुरू हो गए हैं। चाय के ढाबों पर नशा परोसा जा रहा है जिसकी वजह से घण्टों वहाँ भीड़ बनी रहती है और झगड़े होते रहते हैं।

(02)

बिना भू रूपांतरण, बिना स्वीकृति, ज़ीरो सेटबैक पर, बिना फायर एनओसी के ये अवैध निर्माण बनते व बढ़ते जा रहे हैं। बिना स्वीकृति, बिना भू-रूपांतरण, बिना फ़ायर एनओसी, बिना आरएमए लाइसेंस के होने वाले इन अवैध निर्माणों, अवैध गतिविधियों से सरकार को रेवेन्यू का नुक़सान तो हो ही रहा है साथ सरकार की छवि लगातार आम जनता में धूमिल होती जा रही है यह सारे भ्रष्टाचार, अतिक्रमण, अवैध निर्माण देखकर। आपके जोन द्वारा कुछेक अवैध निर्माण 180 दिन के लिए सील किये गए किंतु 90 दिन में ही वो सील अवैध निर्माणकर्ता द्वारा झूठा शपथ पत्र देकर खुलवा ली गयी और पुनः अवैध निर्माण शुरू हो गए। शपथपत्र अनुसार न ही अवैध निर्माणकर्ताओं ने अवैध निर्माण हटाया न ही अवैध निर्माण को रोका बल्कि सील खुल जाने के बाद अवैध निर्माण करने वाले और दबंग और दुस्साहसी बन गए और धड़ल्ले से अवैध निर्माण करने में लगे है। इन अवैध निर्माणों से आवासीय क्षेत्रों में लगातार निम्न अव्यवस्थाएं बढ़ रही हैं-

1. आवासीय में व्यवसायीकरण के कारण उनमें चलने वाले ढाबों, होटलों व कैफ़े से आगजनी जैसी आकस्मिक दुर्घटनाओं का अंदेशा बढ़ गया है।

2. बिना फ़ायर एनओसी, आरएमए लाइसेंस के अवैध बहुमंजिला बिल्डिंग्स में अवैध कैफ़े, ढाबे व अवैध होटल/हॉस्टल/कैफ़ेटेरिया चल रहे हैं जो कि आसपास रह रही आम जनता के जीवन खिलवाड़ है।

(04)

9. सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर सार्वजनिक पार्कों में अवैध निर्माण कर राजनैतिक पार्टी कार्यालय चल रहे हैं, बैठकें हो रही हैं जबकि सार्वजनिक पार्क/उद्यान/बगीचे में किसी भी तरह का निर्माण स्वीकृत नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि स्वयं के स्तर पर अपने जोन क्षेत्र का अवलोकन कर, जाँच कर इन अवैध निर्माणों व फूड की अवैध गतिविधियों पर उचित व सख़्त कार्यवाही कर अपनी भूमिका को प्रदर्शित करें। विनम्र निवेदन है कि आपके जोन से उचित व सख़्त कार्यवाही न होने पर लोकायुक्त में यह शिकायत दर्ज करना मेरा अगला क़दम होगा। आशा है आप स्वयं ही उचित कार्यवाही कर अपनी प्रशासनिक सेवा सक्रियता का परिचय देंगे। एक लोकसेवक होने के नाते आप इस पर मुख्य रूप से कार्यवाही करेंगे इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद!

संलग्न पुनः सूचनार्थ  
हिलव्यू समाचार अख़बार की 08 प्रति तारिख सहित जिसमें लगातार आदर्शनगर जोन के अवैध निर्माणों की खबरे प्रकाशित की गई हैं।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-  
मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार  
यूडीएच मंत्री राजस्थान सरकार  
मुख्य सचिव राजस्थान सरकार  
महापौर नगर निगम हैरीटेज, जयपुर  
आयुक्त नगर निगम हैरीटेज जयपुर  
उपायुक्त, आदर्शनगर जोन, नगर निगम हैरीटेज, जयपुर  
रक्षित पत्रावली

प्रार्थी

शालिनी श्रीवास्तव  
संपादक एवं स्वामी हिलव्यू समाचार  
प्लॉट नंबर C-2 अशिया रेजीडेंसी  
प्लॉट नंबर 201, आदर्शनगर  
राजापार्क जयपुर राजस्थान  
संपर्क : 7976561127, 9460079061  
मेल आईडी: hillviewsamachar@gmail.com  
वेबसाइट: www.hsnews.in





